

6/2/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उप।
मिसल वास्ते जवाब हेतु दिनांक
27/3/19 को पेश हो। पूनश्चर्य मिसल वास्ते
जवाब पत्र हेतु।

[Handwritten signature]

27/3/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उप।
मिसल वास्ते जवाब हेतु दिनांक
27/3/19 को पेश हो। पूनश्चर्य मिसल वास्ते
जवाब पत्र हेतु।

[Handwritten signature]

14/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उप।
मिसल वास्ते जवाब हेतु दिनांक
4/6/19 को पेश हो।

4/6

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उप।
मिसल वास्ते जवाब हेतु दिनांक
4/6/19 को पेश हो।

17/7

15/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित।
मिसल वास्ते जवाब हेतु दिनांक 4/12/19
को पेश हो।

बहायक कलेक्टर, धौलपुर

4/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उपस्थित।
अप्रीति की ओर से पर्याप्त अवसर
दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं

रा.मु.जो.



किया। अतः अप्रार्थी का जवाब बंद
किया जाता। बकील पक्षकारान बहस
प्रार्थना-पत्र शुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता
ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में
वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन
किया कि बाद के निस्तारण तक
अम्बाई निषेधाद्या जारी की जावे।
अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस प्रार्थी
का विरोध करते हुए निवेदन किया
कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज
फरमाया जावे। बहस पर मनन किया
जावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड
व देस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन
किया जिससे पक्षकारान के मध्य
विवाद प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि
को लेकर उपलब्ध है। तथा प्रथम दृष्टया
प्रकरण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण
के पक्ष में है। क्योंकि प्रार्थीगण रेकॉर्ड
स्वाब्बेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी
भी प्रकार से प्रार्थी प्रार्थना-पत्र में
वर्णित तथ्यों का खंडन नहीं किया
है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना-
पत्र में वर्णित तथ्यों को नहीं मानने
का कारण जावली पर नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र
स्वीकार किया जाकर बाद के निस्तारण
तक अम्बाई निषेधाद्या बहस प्रार्थीगण
विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय के जारी
की जाती है कि प्रार्थना-पत्र में
वर्णित भूमि ख.न. 82/2 खत्वा 19
बीघा 18 बिस्वा ग्राम हरिनगर, तह-
ओसिया के बाबत अप्रार्थीगण मौके
व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।
पत्रावली फौसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर मूल बाद
के साथ लम्बी हो